COURT FEE INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०) कैम्प, सागर

B.O.R.
R10-II/07
11 DEC 2006

रघवीर प्रसाद साहू वल्द परमानंद साहू
निवासी पद्माकर नगर कालोनी, सागर
तहसील व जिला सागर —— आवेदक/निगरानी कर्ता

-: विरुद्ध :-

(१) मध्यप्रदेश शासन
(२) अशोक कुमार बाजपेई तनय कृष्णादत्त बाजपेयी
निवासी पद्माकर नगर, सागर
तहसील व जिला सागर (म०प्र०) —— अनावेदकगण

राजस्व मण्डल ग्वालियर 471 02-1

R.P. 5603
28-12-06

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता -

निगरानी कर्ता/आवेदक न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय, सागर सम्भाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमांक ४६-अ/६ (वर्ष २००५-०६) में पारित आदेश दिनांक ११/७/२००६ से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी प्रस्तुत करता है :-

(१) यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक २, के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक २, की ग्राम सिदगुवा स्थित भूमि ख०न० ३६६/१, ४०१/३, ४०६/३, रकबा क्रमश: ०-६७२, ०-४०५, एवं ०२८४ कुल रकबा १-३६१ हेक्टे० स्थित है। बन्दोबस्त के बाद नया ख०न० ४३८, ४४७, ४५८ रकबा क्रमश: ०-६५, ०-२७, एवं ०-२६ कुल रकबा १-२१ हेक्टे० बनाया गया है, जो पूर्व रकबा के मान से ०-१५ हेक्टे० कम हो गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर, आवेदक एवं हितबद्ध पक्षकारों को आहूत कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन बुलाया गया तदुपरांत अनावेदक क्रमांक १, के कमी रकबा में से ०-०७ हेक्टे० की पूर्ति किए जाने के आदेश श्रीमान कलेक्टर महोदय, सागर ने अपने रा०प्र०क्रमांक ३-अ/६ (वर्ष २००५-०६) में दिनांक २६/१२/२००५ को पारित किया

-२

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-10/11/07 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	रघुवंशी कार्यवाही तथा आदेश सदस्य	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	प्रकरण निगरानीकार की ओर से लगातार अनुपस्थिति तथा पैरवी नहीं किए जाने के कारण, तथा अनावेदक अधिवक्ता के निवेदन के प्रकाश में खारिज कर समाप्त किया जाता है। दा. द. हो। [signature] सदस्य	

[कृ. प. उ.